उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंकको मिला अनुसूचित वाणिज्य बैंकका दर्जा

भारत सरकार ने अपनी आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४क२) की धारा ४२ के उप-धारा (६) के खंड (क) के अनुसरण में दूसरी अनुसूची में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक को शामिल किया। भारतीय रिजर्व बैक (आर.बी.आई.) द्वारा उत्कर्ष के मूल्यांकन के बाद यह अनुसूचित होने का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक की स्थिति प्राप्त करने के बाद उत्कर्ष लघु वित्त बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के साथ आर.बी.आई. से उधार लेने और देने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थाओं (जो कि नियामक या आंतरिक दिशा-निर्देशो का पालन करते हुए अनुसूचित बैंको के साथ लेनदेन करते है) से व्यापार हासिल करने में मदद करेगा। इससे बैंक नकदी तरलता के लिए प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने में सक्षम होगा। यह अनुसूची बीसीएसबीआई भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड सदस्यता के लिए आवेदन करने में उत्कर्ष को सक्षम करेगा।